मध्यप्रदेश में बच्चे

मुंद गई आंखों का सच

सतना में कुपोषण के कारण बच्चों की मौतें

एक जमीनी पड़ताल

तथ्यान्वेषण प्रतिवेदन

मध्यप्रदेश लोक संघर्ष साझा मंच, देवास
एवं
भोजन का अधिकार अभियान, मध्यप्रदेश
ई–7/226, प्रथम तल, धनवन्तरी काम्पलेक्स के सामने,
अरेरा कालोनी, शाहपुरा, भोपाल, मध्यप्रदेश
फोन : 0755– 4252789, ई मेल : rtfmp@rediffmail.com

18 व 19 मई 2008, सतना

तथ्यान्वेषण दल

प्रतीक, विनोद केवट

अर्चना सिंह, प्रदीप सिंह, प्रशान्त दुबे

प्रतिवेदन : प्रशान्त दुबे

सहयोग : रमेश जी, अतुल गौतम जी, अखिलेश व साथी, सतना

विषय सूची

मुख्य बात	-	04
सतना में फिर नाचा कुपोषण का मोर	-	05
हरदुआ और नगझीर का परिचय	-	06
समेकित बाल विकास योजना	-	07
बच्चों में कुपोषण	-	12
कब-कब मरे बच्चे	-	15
स्वास्थ्य विभाग की भूमिका	-	17
नहीं सुरक्षित है भोजन का अधिकार	-	20
अनकही दास्तानें	-	24

केस अध्ययन

आठ दिनों में आंगन सूना	-	16
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का देवर ही चढ़ गया कुपोषण की भेंट	-	18
सुआ पहाड़ी में भी दफना दी गई मनीषा	-	25
धर्मलाल लेते हैं वजन और आंगनवाड़ी बंद	-	26

बॉक्स

टर्न आने पर ही दूर होगा कुपोषण	-	05
बाल संजीवनी अभियान की हकीकत	-	14
दवा खाते ही बच्चे और बूढ़े कर रहे हैं उल्टी	-	17
फागुन से राशन नहीं	-	20
अबकी बारी हमरे मरने की खबर लेने आना साहब	-	26
दो महीने से नहीं आया है पोषणाहार	-	27

तालिका

प्रभावित बच्चों का विवरण	-	05
आंगनवाड़ी केन्द्र पर सुविधायें	-	09
शासकीय आंकडों व दल के आधार पर कुपोषण	-	12/14
उन लोगों के नाम जिन्हें उल्टी दस्त हुये	-	17
शिशु मृत्यु दर का विश्लेषण	-	19
वे व्यक्ति जिनके पास राशन कार्ड नहीं है	-	21
जिनके जॉब कार्ड खाली हैं	-	22
पेंशन की पात्रता पर पेंशन नहीं	-	23

मुख्य बात

हाल ही में सतना जिले के उचेहरा विकासखंड की पुरैना पंचायत के दो गांवों हरदुआ और नकझीर में एक सप्ताह में पांच बच्चों की मौतों का मामला सामने आया है। इन बच्चों में से ज्यादातर बच्चे 3 वर्ष से कम उम्र के हैं। 16 बच्चों की हालत नाजुक बनी है। इस मुद्दे के प्रमुख बिन्दु।

- एक सप्ताह में एक ही पंचायत में पांच बच्चों की मौत, कुल सात बच्चों की मौत।
- मीडिया में खबरें आने के बाद ही प्रशासन को खबर।
- स्वास्थ्य विभाग की टीम प्रभावित गांव गई। चंद गोलियों के अलावा कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं।
- स्वास्थ्य विभाग के अनुसार लू व कुपोषण से मौत, महिला एवं बाल विकास विभाग का दावा बच्चे
- कुपोषित नहीं थे।
- महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम दल के भ्रमण तक और आज दिनांक तक भी गांव में नहीं गई।
- महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुसार गांव में केवल 4 ही बच्चे सी ग्रेड के कुपोषित, जबकि गांव में जाने पर महिला एवं बाल विकास के आंगनवाड़ी के रजिस्टर के अनुसार 8 बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित। यानी विभाग 50 प्रतिशत कुपोषित बच्चों को छिपा रहा है।
- यदि 4 ही बच्चे कुपोषित थे, तो फिर विभाग ने 5 बच्चों को सतना के पोषण पुर्नवास केन्द्र में क्यों भिजाया ?
- तथ्यान्वेषण दल के अनुसार 30 प्रतिशत बच्चे गंभीर स्तर के कुपोषित।
- आंगनवाड़ी केन्द्र पर तीन माह से पोषणाहार नहीं। आनन-फानन में सरकार ने 40 किलो पोषणाहार (दि. 18 मई 20008 को) पहुंचवाया, जो कि दर्ज हितग्राहियों की संख्या के अनुसार मात्र 5 दिन का ही है।
- आंगनवाड़ी केन्द्र पर न तो बच्चों के बैठने की व्यवस्था है, न पेयजल की व्यवस्था, न पृथक-पृथक शौचालय, न पोषणाहार बनाने के लिये अलग कमरा।
- आंगनवाड़ी केन्द्र में एक भी वजन मशीन नहीं जबकि तीन तरह की वजन मशीन (ट्रे मशीन, साल्टर मशीन तथा एक अन्य मशीन जिससे किशोरी बालिकाओं, गर्भवती व धात्री माताओं का वजन नापा जा सके।) होनी चाहिये।
- कुपोषित बच्चों की नियमित प्रगति मापने के लिये वृद्धि चार्ट, अनौपचारिक शिक्षण के लिये चार्ट व अन्य शिक्षण सामग्री, सामान्य व कुपोषित बच्चों के लिये अलग-अलग प्रकार के खिलौने इत्यादि कुछ भी नहीं।
- किसी भी तरह की कोई भी दवा (ऑयरन फोलिक ऐसिड व पेट के कीडे मारने की दवा आदि) केन्द्र पर उपलब्ध नहीं।
- इस गांव के अलावा मझगवां विकासखंड़ के दो गांवों सुआ पहाड़ी व रामनगर खोखला में भी कुपोषण से मौत, महिला एवं बाल विकास विभाग को जानकारी ही नहीं ?
- सतना जिले में रोजाना 12 तथा वर्ष भर में 4597 शिशुओं की मौत।
- प्रदेश में रोजाना 379 तथा 138697 शिशुओं की मौत ।

सतना में फिर नाचा कुपोषण का मोर

इस दौर में जबकि राज्य सरकार कह रही हैं कि कुपोषण कम हो गया है और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के तृतीय चक्र के आंकडे कहते हैं कि मध्यप्रदेश में कुपोषण बढ़ कर 60 प्रतिशत तक जा पहुंचा है, प्रदेश में कुपोषण से मौतों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। हाल ही में सतना जिले के उचेहरा विकासखंड की पुरैना पंचायत के दो गांवों हरदुआ और नकझीर में तीन दिनों में पांच बच्चों की मौतों का मामला सामने आया है। इन बच्चों में से ज्यादातर बच्चे 3 वर्ष से कम उम्र के हैं। 15 बच्चों की हालत नाजुक बनी है। सरकार द्वारा इन बच्चों की मौत लू से होना बताया जा रहा है।

तालिका क्र. 1 – प्रभावित बच्चों का विवरण			
बच्चे का नाम	गांव का नाम	आयु	मृत्यु का दिनांक
राहुल कोल	नकझीर	10 माह	11 मई 2008
कांति बाई	नकझीर	2½ वर्ष	9 मई 2008
गुडिया	हरदुआ	3 वर्ष	10 मई 2008
अर्चना	हरदुआ	2 वर्ष	8 मई 2008
नीलेश	हरदुआ	8 माह	9 मई 2008
मनीषा	सुआपहाड़ी	1½ वर्ष	15 मई 2008
सुकैन	रामनगर खोखला	1 वर्ष	17 मई 2008

12 मई को स्वास्थ्य विभाग का अमला यहां गया और उसने प्रथम दृष्टया बच्चों की मौत को लू व कुपोषण से होना बताकर यह कहा कि अभी हमारा स्टॉफ 24 घटे यहां पर रहेगा, लेकिन दूसरे दिन से यहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पास रखी चंद गोलियों के अलावा न तो स्वास्थ्य विभाग का ही कोई अमला ही वहां था और न ही बीमारी से निपटने की कोई तैयारी।

इसके अलावा दैनिक जागरण में प्रकाशित (13 मई) खबर के अनुसार दोनों गांव के 100 बच्चे कुपोषित है और पांच वर्ष तक का बच्चा भी खडे होने में सक्षम नहीं है। आंगनवाड़ी न तो कभी खुलती ही है और न ही बच्चों को पोषणाहार ही कभी मिला है। जबकि महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुसार 0 से 6 वर्ष की उम्र के 103 बच्चों में से केवल 4 बच्चे ही कुपोषित हैं और बच्चों की मौत कुपोषण से नहीं हुई है। इस मामले में संशय यहां भी पैदा होता है कि स्वास्थ्य विभाग का कहना यह है कि इन बच्चों की मौत लू व कुपोषण से हुई है । स्वास्थ्य विभाग ने भी प्रभावित क्षेत्र की अपनी त्वरित यात्रा के बाद कहा कि वहां कुछ करने लायक नहीं है, जरूरत के हिसाब से दवायें वितरित करा दी गईं हैं। गांव वालों को अधिक से अधिक पानी पीने की सलाह दे दी गई है।

टर्न आने पर ही दूर होगा कुपोषण

दोनों गांवों के चारों बच्चों के कुपोषित होने की रिपोर्ट महिला एवं बाल विकास विभाग को छः महीने पहले से ही थी, लेकिन सरकार ने उन्हें पोषण पुर्नवास केन्द्र नहीं पहुंचाया और इस पर विभाग का कहना है कि अभी उचहरा का टर्न नहीं आया, जब आयेगा तब भिजायेंगे । जबकि रिपोर्ट के अनुसार पोपुके में उचहरा के 20 बच्चों को भिजा कर यह बता दिया गया कि सभी बच्चों को केन्द्र में भर्ती करा दिया गया है।

यह घटना केवल उचहरा विकासखंड के दो गांवों की नहीं है बल्कि पूरे सतना जिले में ही यह हाल हैं। मझगवां विकासखंड के दो गावों में मौत का तांडव हुआ, और वहां भी बच्चे मौत की नींद सो गये। यहां कि घटना को मीडिया ने नहीं उठाया, या यूं कहें कि तूल नहीं दिया मिला तो विभाग के आला अधिकारी से लेकर जमीनी अमले तक को यह जानकारी ही नहीं कि इन गांवों में भी कुपोषण के कारण मौतें हुई हैं। सवाल यहां प्रतिबद्धता, जवाबदेही और जिम्मेदारी का है कि यदि किसी बच्चे की मौत अखबारों की सुर्खियां नहीं बटोर पाई तो क्या वह बच्चा या उस गांव के अन्य बच्चे पाप के भागीदार हैं जो कि बच्चे की खैर-खबर प्रशासन न ले। इसे प्रशासन की नाकामी नहीं तो क्या कहें, जबकि स्वयं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का देवर ही कुपोषण की भेंट चढ़ जाये। इन घटनाओं के बाद प्रशासन हरकत में तो आया लेकिन इसलिये कि कहीं यह सिद्ध न होने पाये कि मौतें कुपोषण से हुई हैं, इसलिये पुरजोर कोशिशें इस बात के लिये जारी हैं कि साक्ष्य मिटा दिये जायें, प्रभावित गांवों के आंगनवाड़ी केन्द्रों में तत्काल पोषणाहार पहुंचा दिया जाये, लेकिन अन्य गांवों में क्या ? वहां विभाग, शायद बच्चों के मरने का इंतजार करेगा ?

ऐसी स्थिति में 'मध्यप्रदेश लोक संघर्ष साझा मंच' ने एक तथ्यान्वेषण दल बनाकर इन बच्चों की मौतों के संदर्भ में वास्तविक स्थिति का जायजा लिया। हमने गांव में बच्चों के वजन लिये, लोगों के शपथपत्र बनवाये, समूह चर्चायें की, आंकडेवारी के लिये द्वितीयक स्त्रोतों का भी उपयोग किया। जानते हैं वास्तविक स्थिति।

हरदुआ और नकझीर का सामान्य परिचय[1]

मध्यप्रदेश के बघेलखंड पठार का सतना जिला सीमेन्ट उद्योग के लिये जाना जाता है। बघेलखंड के इस जिले में आठ ब्लॉक हैं। इन आठ ब्लॉकों में से उचहरा ब्लॉक (मानचित्र में प्रदर्शित) की पुरैना पंचायत के ये दो गांव हैं हरदुआ और नकझीर ।

ज्रंगल पहाड़ी के बीच बसे इन गांवों की पंचायत पुरैना है। इस पंचायत में चार गांव आते हैं और जिनमें से दो गांव हैं हरुदआ और नकझीर। आजादी के साठ वर्षो बाद भी लगता है कि यहां इन गांवों में विकास की एक भी किरण नहीं पहुंची है।

न रोजगार, न स्वास्थ्य सुविधा, न पहुंच मार्ग, न शिक्षा । हम समझ सकते हैं कि इन गांवों की हालत क्या है ? आंगनवाड़ी भी महज 5 माह पूर्व ही खुली है, और जिसमें भी मात्र 77 बच्चे दर्ज हैं, जबकि गावं में 102 बच्चे हैं।

रोजगार का संकट

गांव में न तो रोजगार के स्थाई साधन हैं और न ही पर्याप्तता। गांव के जंगलों से लकड़ी काटकर लाना और उसे आसपास के कस्बों में बेचना आजीविका का प्रमुख साधन है। है। लोग जंगल से दुरैहा (10 किमी) जलाऊ लकड़ी लाकर 20 से 25 रूपये में बेचते है। लकड़ी बेचने की यह आवृत्ति सप्ताह में तीन बार तक ही होती है। लेकिन बरसात के दिनों में यह विकल्प भी जवाब दे जाता है।

आजीविका का दूसरा साधन यहां पर अवैध रूप से संचालित पत्थर खदाने हैं, इन पत्थर खदानों में प्रतिदिन लोगों को 40 रूपया प्राप्त हो जाता है। इसमें दो तरह से काम होता है। एक ठेके पर यानी आप दिनभर में जितना पत्थर तोड़ते हैं, उतना रूपया मिल जाता है, उदाहरणार्थ पटिया[2] तोड़ने पर 8-10 रूपया। यह काम भी महीने में 7-8 दिन का ही मिल पाता है। चूंकि यह अवैध खदाने हैं तो वन विभाग का कोई

---

[1] नक्शा - मेप्स ऑफ मेप्स से लिया गया।

[2] पटिया - पत्थर की एक लंबी सिल, जो लगभग 4-5 फीट लंबी हो सकती है।

भी कर्मचारी मार–पिटाई करने लगता है, जिसके चलते यह भी स्थाई साधन नहीं है और बरसात में तो इन खदानों में भी पानी भर जाता है, जिससे यह बंद हो जाती है और रोजगार भी नहीं मिलता है।

10–12 दिन का काम अभी तेंदूपत्ते का भी मिल जाता है । बरसात के दिनों में थोड़ा बहुत खेती का काम मिलता है, जो या तो स्वयं के खेतों में होता है या फिर किसी और के खेतों में कृषि मजदूरी के रूप में मिलता है। इस प्रकार इन गांवों में लोगों के पास आजीविका के कोई भी स्थाई साधन नहीं हैं और लोग पलायन को मजबूर हैं।

मकानों की स्थिति

मकान सर्दियों में जितने सर्द होते हैं, गर्मी के दिनों में उतने ही गर्म । वे पत्थरों के बने होते हैं। इक्का–दुक्का घरों को छोड़ दें तो लगभग सभी घर पत्थर के बने होते हैं । एक तो पिछले चार वर्षों से यहां पर सूखा पड़ रहा है, जिसके कारण यहां पर तापमान भी ज्यादा है। इस तापमान में पत्थरों के बीच में रहने पर और गर्माहट बढ़ जाती है, ऐसी स्थिति में बच्चे ज्यादा सहन नहीं कर पाते हैं।

पेयजल का संकट

दो हैण्डपंप ही है गांव (हरदुआ और नकझीर) में जो सांसें भर रहे हैं, कितने दिन तक साथ निभायेंगे, पता नहीं ? इन हैण्डपंपों की भी क्षमता पूरे गांव की प्यास बुझाने लायक नहीं है, ऐसी स्थिति में सभी लोग 2 कि.मीटर दूर नाले से पानी लाते हैं। ऐसी स्थिति में हालत और विकट हो जाती है ।

समेकित बाल विकास परियोजना

आंगनबाड़ी केन्द्र

7 फीट चौड़ी और लगभग 20 फीट लंबी दालान है यह आंगनबाड़ी केन्द्र। आंगनबाड़ी केन्द्र यानी कार्यकर्ता का घर। आंगनबाड़ी केन्द्र यानी एक अनौपचारिक व्यवस्था। आंगनबाड़ी केन्द्र यानी वह बाल अधिकार केन्द्र नहीं बल्कि एक विभागीय खानापूर्ति, आंगनबाड़ी केन्द्र याने वह केन्द्र जहां न तो पेयजल की व्यवस्था है, न ही शौचालय और न ही खिलौने । आंगनबाड़ी केन्द्र केन्द्र यानी न बच्चों के बैठने की व्यवस्था, न पोषणाहार के बर्तन और न ही पेयजल के बर्तन । न ही वजन नापने की मशीन और न ही कोई वृद्धि चार्ट । न कोई शिक्षण सामग्री और न ही कोई अन्य शिक्षण उपकरण।

सवाल यह है कि जब ऐसा कुछ भी नहीं तो फिर क्या यह आंगनबाड़ी केन्द्र है? ज्ञात हो कि शासकीय मापदण्डों के अनुसार ही एक आंगनबाड़ी केन्द्र में समस्त 40 - 80 बच्चों के लिए बैठने के लिए उचित व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, पृथक-पृथक शौचालय, पोषणाहार बनाने के लिये अलग कमरा। समस्त दर्ज बच्चों के अनुसार बर्तन, खाना पकाने के अलग बर्तन होना चाहिये। तीन तरह की वजन मशीन (ट्रि मशीन, साल्टर मशीन तथा एक अन्य मशीन जिससे किशोरी बालिकाओं, गर्भवती व धात्री माताओं का वजन नापा जा सके।) कुपोषित बच्चों की नियमित प्रगति मापने के लिये दृष्टि चार्ट, अनौपचारिक शिक्षण के लिये चार्ट व अन्य शिक्षण सामग्री, सामान्य व कुपोषित बच्चों के लिये अलग-अलग प्रकार के खिलौने इत्यादि। इसके अलावा आयरन फोलिक ऐसिड की दवायें व अन्य सामान्य दवायें आदि।

आंगनवाड़ी केन्द्र की एक झलक

उचहरा परियोजना के हरदुआ गांव का आंगनबाड़ी केन्द्र केवल एक केन्द्र है न कि बाल अधिकार केन्द्र। यह केवल एक औपचारिकता ही है। प्रदेश के हजारों आंगनवाड़ी केन्द्र ऐसे हैं जो कि निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करते हैं, और विभागीय खानापूर्ति के लिये संचालित है। हमने जब निर्धारित मानकों पर हरदुआ आंगनवाड़ी केन्द्र की पड़ताल की तो हमने पाया कि यहां पर जो शासन के ही मानक हैं, उनका भी ध्यान नहीं रखा गया है। आइये जानें क्या हैं मानक और उनकी तुलना में क्या है जमीनी स्थिति ?

आंगनबाड़ी केन्द्र की स्थिति

आंगनबाड़ी केन्द्र दिसंबर 2007 में बना है। इसके पूर्व हरदुआ कला, नकझिर व पुरैना में एकमात्र आंगनबाड़ी केन्द्र था। ज्ञात हो कि पुरैना के आंगनबाड़ी केन्द्र की दूरी लगभग 1-1/2 कि.मी.की थी, जिस पर छोटे बच्चों का पहुंचना असंभव ही था। आंगनबाड़ी केन्द्र हरदुआ में ही है जबकि नकझीर में अभी भी आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं है। वर्तमान केन्द्र में हरदुआ व नकझीर दानेां गांवों के बच्चे आते हैं। नकझीर, हरदुआ से आधा किलोमीटर की दूरी पर है। और गांव वालों के अनुसार कभी भी न ही कार्यकर्ता यहां आती है और न ही सहायिका। हमारे बच्चे भी कभी भी केन्द्र पर नहीं जाते हैं।

तालिका क्र. 2 – आंगनवाड़ी केन्द्र पर सुविधाओं की स्थिति।

सुविधायें	मानक	हरदुआ आंगनबाड़ी केन्द्र पर उपलब्धता
उपयुक्त स्थल	40 से 80 बच्चों के लिए पर्याप्त हवादार स्थल।	स्थल 7 गुणा 20 फीट की कार्यकर्ता के घर की दालान।
पेयजल व्यवस्था	समस्त दर्ज बच्चों के लिये स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था।	केन्द्र पर पेयजल की कोई भी व्यवस्था नहीं है।
पृथक-पृथक शौचालय	केन्द्र पर (बालक/ बालिकाओं के लिये पृथक-पृथक शौचालय)	केन्द्र पर कोई भी शौचालय नहीं।
बर्तन	पोषाहार पकाने के लिये बर्तन व प्रत्येक बच्चों को पोषाहार लेने के अलग-अलग बर्तन ।	पोषणाहार पकाने के कुछ बर्तन तो है। लेकिन पोषाहार के लिये कोई भी बर्तन उपलब्ध नहीं।
कक्ष	भोजन पकाने के लिऐ अलग कक्ष ।	कुल जमा 7 गुणा 20 फीट की घर की दालान।
वजन मशीन	प्रत्येक केन्द्र पर तीन तरह की वजन मशीन (ट्रि, सॉल्टर मशीन तथा बड़ी मशीन जिस पर किशोरी, गर्भवती व धात्री महिलाओं का वजन लिया जा सके।	केन्द्र पर एक भी वजन मशीन नहीं।
टेप	बच्चों की लंबाई मापने के लिये टेप।	केन्द्र पर टेप उपलब्ध नहीं तथा कार्यकर्ता को इसकी जानकारी भी नहीं।
चार्ट	अनौपचारिक शिक्षण के लिये चार्ट (रंगो के नाम, जानवरों के नाम, फलों के नाम आदि)।	केन्द्र पर कोई भी चार्ट मौजूद नहीं।
पोषणाहार	प्रत्येक सामान्य बच्चे को 80 ग्राम, कुपोषित बच्चों को 160 ग्राम पोषाहार।	विगत तीन माह से केन्द्र पर पोषाहार ही नहीं। घटना के बाद केन्द्र पर (18 मई 2008) को 40 किलो पोषाहार आया।
दवायें	प्रत्येक गर्भवती/ धात्री/ किशोरी बालिकाओं के लिये आयरन की गोलियाँ। बच्चों के पेट के कीड़े मारने की गोली।	कुछ आयरन की गोलियाँ है। केन्द्र में सामान्य गोलियाँ कुछ भी नहीं। बच्चों वाली कोई भी दवा उपलब्धन नहीं
साबुन, तौलिया व आईना	प्रत्येक केन्द्र पर साबुन, तौलिया व आईना होना आवश्यक है। इस व्यवस्था से तात्पर्य यह है कि बच्चे खेलते हुये बाहर से आये ेतो केन्द्र पर आकर हाथ-मुंह धोकर व तैयार होकर ही केन्द्र पर बैठें। सहायिका इस कार्य में बच्चों की मदद करेंगी।	केन्द्र पर ऐसी कोई भी सामग्री मौजूद नही। न ही कार्यकर्ता व सहायिका को इस विषय में कोई जानकारी ही है।

आंगनबाड़ी केन्द्र में कुल 77 बच्चे दर्ज है, (बालक-बालिका) की पृथक-पृथक संख्या प्राप्त नहीं हो सकी है। इन 77 बच्चों में से नकझीर के कितने बच्चे हैं व हरदुआ कला के कितने बच्चे हैं, यह भी स्पष्ट नहीं है। दानों गांवों को मिलाकर 10 धात्री मातायें/ 6 गर्भवती तथा 2 किशोरी बालिकायें दर्ज हैं। जबकि गांव में 12 धात्री, 8 गर्भवती तथा 34 किशोरी बालिकायें हैं और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार (दि.28 नवम्बर 2001) प्रत्येक गर्भवती/ धात्री व किशोरी बालिका को प्रतिदिन पका पोषाहार मिलना चाहिये। लेकिन हरदुआ व नकझीर के न तो प्रत्येक बच्चे का नाम ही आंगनबाड़ी में दर्ज है न ही किशोरी और न ही धात्री व गर्भवती का। ज्ञात हो कि दोनों गांवों में 102 बच्चे हैं, लेकिन केन्द्र में मात्र 77 बच्चे ही दर्ज हैं। बाकी बच्चे दर्ज क्यों नहीं है ? इसका कोई भी जवाब कार्यकर्ता के पास नहीं है। कार्यकर्ता यह भी नहीं जानती है कि समस्त किशोरी बालिकाएं/ गर्भवती माताएं/ व धात्री माताओं को दर्ज किया जाना है और उन्हें प्रतिदिन पके पोषणाहार का वितरण किया जाना है।

पोषणाहार की कहानी -

पोषणाहार यानी समेकित बाल विकास सेवा का एक अनिवार्य अंग । महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही लक्षित समूह को प्रतिदिन पके पोषणाहार का वितरण किया जाना चाहिये ।

- 6 वर्ष तक के प्रत्येक सामान्य बच्चे को 300 कैलोरी और 8 से 10 ग्राम प्रोटीन मिले। (80 ग्राम)

- प्रत्येक गर्भवती माताओं व किशोरी बालिकाओं को 500 कैलोरी और 20 से 25 ग्राम प्रोटीन मिले (लगभग 140 ग्राम)

- प्रत्येक कुपोषित बच्चे को 600 कैलोरी और 16 से 20 ग्राम प्रोटीन मिले। (160 ग्राम)

<u>अपर्याप्त पोषणाहार</u>

मानकों के अनुसार देखें तो प्रतिदिन सामान्य बच्चों के लिए 80 ग्राम, कुपोषित बच्चों के लिये 160 ग्राम तथा गर्भवती/ धात्री व किशोरी बालिकाओं को लगभग 140 ग्राम पोषाहार प्रतिदिन दिया जा ना चाहिये। इस मापदंड के अनुसार दिया गया पोषणाहार (40 किलोग्राम) अपर्याप्त है।

यदि दर्ज सभी 77 बच्चों को सामान्य मान लिया जाये तो प्रतिदिन न्यमनतम आवश्यकता (6.16 कि.ग्राम) और अन्य हितग्राहियों की प्रतिदिन न्यूनतम आवश्यकता (2.52कि.ग्रा.) है। इस हिसाब से प्रतिदिन की न्यूनतम आवश्यकता 8.68 कि.ग्रा. है जो कि उपलब्ध पोषणाहार (40 किलोग्राम) में केवल 4 से 5 दिवस का ही पोषण आहार होता है, जो कि अपर्याप्त है।

प्रत्येक लक्षित समूह को उपर्युक्त समस्त पोषाहार प्रतिदिन पके रूप में दिया जाये साथ ही वर्ष में न्यूनतम 300 दिन तक पोषाहार दिया ही जाना चाहिये।

इस आदेश के परिपालन के सदर्भ में देखें तो हम पाते हैं कि दिसंबर 2007 के केन्द्र खुला है और उसके पहले कभी भी बच्चों को पोषणाहार नहीं मिला है जबकि केन्द्र खुलने के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 1 माह का सतना में प्रशिक्षण था और कार्यकर्ता के अनुसार उस दौरान किसी भी तरह के पोषणाहार का वितरण नहीं हुआ है। इसके अलावा मार्च माह से पोषणाहार नहीं आया है जिसके चलते बच्चों को पोषणाहार का वितरण नहीं हुआ है।

बच्चों के मरने की खबर समाचार पत्र में छपते ही विभाग ने आनन-फानन में केन्द्र की सुध लेना शुरू किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के अनुसार पूर्व में 230 किलो पोषणाहार (खिचड़ी) ही प्राप्त हुआ है।

हालांकि घटना के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को यह पढ़ा दिया गया कि हमें यही बताना है कि दलिया/ मक्का/ चावल/ मुरमुरा/ लड्डू आदि बदल-बदल कर पोषणाहार मिल रहा है, जबकि एक ओर कार्यकर्ता स्वयं कहती हैं कि पिछली बार भी खिचड़ी आई थी और इस बार भी खिचड़ी आई है। यह खिचड़ी भी बच्चों की मौत व समाचार पत्र में प्रकाशन के बाद ही पहुंची है। सवाल यह भी है कि यदि बच्चों की मौत भी नहीं होती तो क्या केन्द्र पर पोषाहार का वितरण ही नहीं होता ?

नहीं होता है पके पोषाहार का वितरण -

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के अनुसार हमारे द्वारा गर्भवती, धात्री तथा किशोरी बालिकाओं को पके पोषणाहार का वितरण नहीं किया जाता है। हम उन्हें माह में/ पंद्रह दिन में बुलाकर उनके हिस्से का पोषणहार दे देते हैं। कितना देते हैं, इसका जवाब देते समय कार्यकर्ता हिसाब लगाते हुये कि कभी पंद्रह दिन का डेढ़ किलो कहती हैं तो कभी कुछ और। इस पर भी गांव की केवल दो किशोरियों को ही पोषणाहार का वितरण किया गया है, न कि सभी को। ज्ञात हो कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्येक किशोरी बालिकाओं तथा समस्त लक्षित हितग्राही को प्रतिदिन पके पोषणाहार का वितरण किया जाना अनिवार्य है। यहां भी माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन है।

जगदंबा स्वसहायता समूह पहले से ही जांच के घेरे में

जगदंबा स्व सहायता समूह जो कि भरहिटा में संचालित है, आसपास के गांवों में पोषणाहार का वितरण कर रहा है। हरदुआ केन्द्र में भी इसी स्वसहायता समूह द्वारा पोषणाहार का वितरण किया जाता रहा है। यह समूह स्वयं भी संदेह के धेरे में है।

ज्ञात हो कि भरहिटा सरपंच ने विगत वर्ष में जगदंबा स्व सहायता समूह के पास से फफूंद व कीड़े लगा दलिया जब्त कर पंचनामा बनाया था और कार्यवाही की मांग की थी। आज तक इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हुईं । जगदंबा सवसहायता समूह का कहना है कि हमारे पास स्वयं तीन माह से पोषणाहार तैयार करने हेतु पैसा नहीं था, तो हम कहां से पोषणाहार की सप्लाई करते ?

बीस वर्ष खो गये, भरमे उपदेश में
एक पूरी पीढ़ी जनमी, पली,पुसी क्लेश में
बेगानी हो गई अपने ही देश में
-रघुवीर सहाय

बच्चों में कुपोषण

कुपोषण एक ऐसा चक्र है जिसके चंगुल में बच्चे अपनी मां के गर्भ में ही फंस जाते हैं। उनके जीवन की नियति दुनिया में जन्म लेने के पहले ही तय हो जाती है। यह नियति लिखी जाती है गरीबी और भुखमरी की स्याही से। स्थिति गंभीर होने पर जीवन में आशा की किरणें भी नहीं पनप पाती हैं। कुपोषण के मायने होते हैं आयु और शरीर के अनुरूप पर्याप्त शारीरिक विकास न होना, एक स्तर के बाद यह मानसिक विकास की प्रक्रिया को भी अवरुद्ध करने लगता है। बहुत छोटे बच्चों खासतौर पर जन्म से लेकर 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों को भोजन के जरिये पर्याप्त पोषण आहार न मिलने के कारण उनमें कुपोषण की समस्या जन्म ले लेती है। इसके परिणाम स्वरूप बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता का ह्रास होता है और छोटी-छोटी बीमारियां उनकी मृत्यु का कारण बन जाती हैं।

बच्चों का वजन लेते तथ्यान्वेषण दल के सदस्य, दि. 18 मई 2008

हरदुआ की आंगनबाड़ी में 77 बच्चे दर्ज हैं जबकि हरदुआ व नकझीर दोनों गांवों को मिलाकर 0 से 6 वर्ष तक की उम्र के 102 बच्चे हैं। अर्थात् प्रथम दृष्ट्या तो यही मालूम होता है कि 25 बच्चे अभी भी आंगनबाड़ी की पहुंच से दूर है। जो बच्चे आंगनबाड़ी में दर्ज है। उनका विगत् 4 माह से कोई भी वजन नहीं हुआ है। उनका पिछली बार वजन 11वें बाल संजीवनी अभियान के दौरान ही हुआ, उसके अलावा नहीं। अब जबकि बच्चों की मौतें हुई, तब जाकर सरकार ने इन बच्चों की सुध लेना शुरू किया।

सरकार ने बच्चों की मौत के बाद आनन-फानन में बच्चों के वजन लेने की प्रक्रिया की और कहा कि 102 बच्चों में से केवल 4 बच्चे ही गंभीर स्तर के कुपोषित पाये गये, जबकि आंगनबाड़ी के ही रिकार्ड के अनुसार 102 में से 78 बच्चे (76 प्रतिशत) कुपोषित हैं। देखें तालिका क्र. - 3)

इसके मायने सरकार ही प्रथम व द्वितीय श्रेणी के कुपोषण को नकारती है अर्थात् जब तक पानी सर पर से न गुजर जाये तब तक हम इसकी परवाह नहीं करेंगे और न ही कोई ठोस कदम उठायेंगे। सवाल यह भी है कि जो बच्चे प्रथम व द्वितीय श्रेणी के कुपोषित हैं, उनकी समुचित देखभाल नहीं की गई तो फिर वे भी गंभीर स्तर के कुपोषण का शिकार हो जायेंगे। सवाल यह भी है कि विभाग के आला अधिकारी यह कहकर भ्रम पैदा कर रहे हैं व अपनी जिम्मेदारियों से हटने की कोशिश कर रहे हैं कि गंभीर श्रेणी के केवल 4 ही बच्चे कुपोषित हैं, अगर केवल 4 ही बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं तो फिर शासकीय रिकार्ड में 8 बच्चे (3 नकझीर + 5 हरदुआ) क्यों दर्शाये गये है ?

तालिका क्र. 3-शासकीय रिकार्ड के अनुसार बच्चों की स्थिति[3]

गांव का नाम	सामान्य श्रेणी	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी
हरदुआ	16	24	8	5	0
नकझीर	8	24	14	3	0
कुल	24	48	22	8	0
प्रतिशत	23 %	47%	21%	7.8%	0

[3] आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से प्राप्त जानकारी

सवाल यहां यह भी है कि शासकीय रिकार्ड के अनुसार नकझीर में केवल 3 बच्चे ही कुपोषित हैं। तो फिर नकझीर गांव के तृतीय श्रेणी के 4 बच्चे पोषण पुनर्वास केन्द्र में कैसे चले गये? सवाल यह भी है कि शासन कहता है कि कुल 4 बच्चे ही गंभीर स्तर के कुपोषित पाये गये हैं तो फिर घटना के बाद पोषण पुनर्वास केद्र में 5 गंभीर बच्चे कैसे भिजाये गये ? और यदि 5 बच्चे गंभीर कुपोषण का शिकार थे तो सरकार उन्हें दर्शा क्यों नहीं रही थी ? सरकार ने 4 बच्चे ही क्यों दर्शाये?

आंगनवाडी पंजी में नकझीर गांव में गंभीर श्रेणी के 5 बच्चे कुपोषित

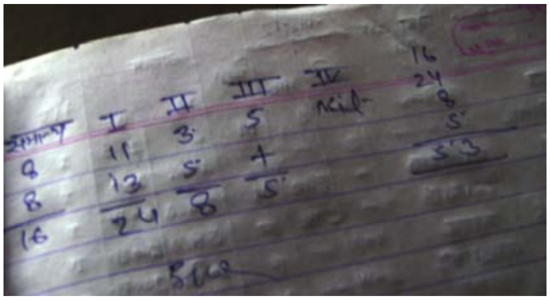

दरअसल हरदुआ गांव की कहानी भी प्रदेश की कहानी से अलग नहीं है? विभाग हमेशा इस तरह के भ्रामक आंकड़े प्रस्तुत कर ही यह दावा करने की कोशिश करता रहा है कि प्रदेश में कुपोषण कम हुआ है, जबकि वास्तविकता तो हमेशा से ही कुछ और ही रही है जिसे सरकार मानती नही है । सरकार यह कोशिश करती रहती है कि भ्रम की चादर उढाई जा सके जिससे सरकारें अपने इस मिशन में कामयाब भी रही हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के तृतीय चक्र के अनुसार मध्यप्रदेश में कुपोषण का प्रतिशत बढ़कर 60 प्रतिशत तक हो गया है, जिसे सरकार नहीं मानती है ।

हकीकत कुछ और है –

हकीकत यह भी नहीं, जो इतनी विसंगतियों के बीच दिख रही है ।भोजन का अधिकार अभियान समूह के तथ्यान्वेषण दल ने गांव में ही औचक व समानांतर निरीक्षण कर बच्चों का कुपोषण स्तर निकालना चाहा। इसके लिये हमने आंगनबाड़ी में ही बच्चों का वजन लेना शुरू किया। हमने इस प्रक्रिया में 52 बच्चों का वजन लिया (हरदुआ 30, नकझीर 22)। इस प्रक्रिया में चौंकाने वाले तथ्य सामने आये। हमने पाया कि 52 बच्चों में से 73 प्रतिशत बच्चे कुपोषित है। और जिनमें से 30 प्रतिशत (16 बच्चे) गंभीर कुपोषण का शिकार है । (देखें तालिका क्र. – 4)

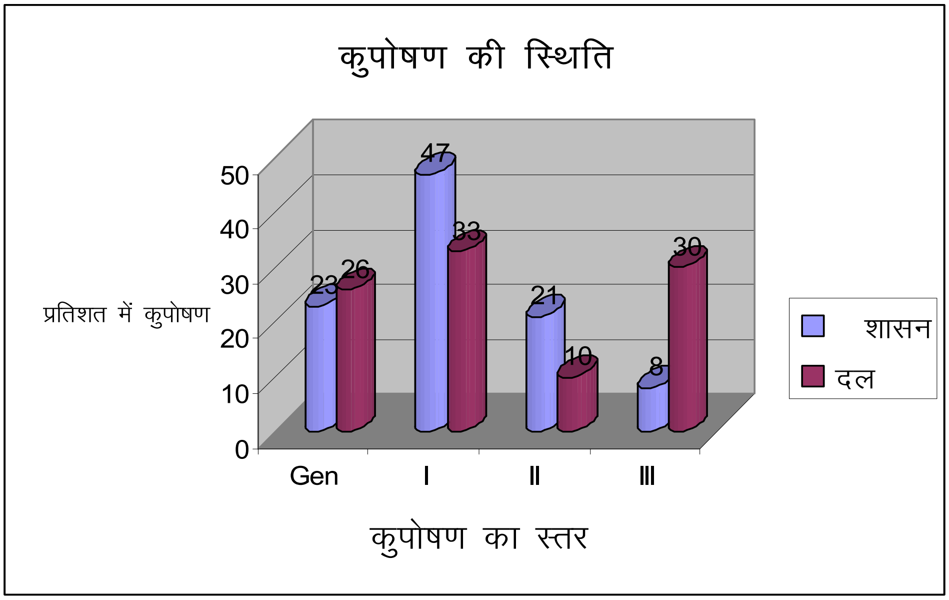

अब यहां से सवाल और भी गहराता है कि जहां सरकार केवल चार या पांच बच्चों को ही गंभीर स्तर का कुपोषित बता रही थी वहां पर 30 प्रतिशत बच्चे गंभीर कुपोषण का शिकार हैं। यह सर्वेक्षण भी प्रतिदर्श सर्वेक्षण था। वास्तविक और बच्चावार सर्वेक्षण तो और अलग कहानी प्रस्तुत करता है। अर्थात् यह मानकर चलें कि दोनों गांवों में लगभग 30 बच्चे अभी भी गंभीर स्तर के कुपोषण का शिकार हैं। 16 बच्चे सर्वेक्षण के दौरान गंभीर स्तर के कुपोषण का शिकार हैं।

यह समस्त प्रक्रिया गांववालों व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की उपस्थिति में सम्पन्न हुई । कुल 73 प्रतिशत बच्चे कुपोषित पाये गये हैं। इन तीनों स्थितियों से यह स्पष्ट होता है कि सरकार किस तरह से आंकड़ों का भ्रम जाल फैलाकर अपनी जवाबदारियों से पल्ला झाड़ने की कोशिश करती है।

तालिका क्र. 4– तथ्यान्वेषण दल द्वारा लिये गये वजन के अनुसार[4]

गांव का नाम	कुल बच्चे जिनका वजन लिया	बच्चों की स्थिति ग्रेडवार				
		सामान्य	I	II	III	IV
हरदुआ	30	10	11	1	8	0
नकझीर	22	4	6	4	8	0
कुल	52	14	17	5	16	0
प्रतिशत		26%	33%	10%	30%	
			42 %			

"बाल संजीवनी अभियान" की हकीकत

सरकार ने अपने बहुचर्चित/ बहुप्रचारित बाल संजीवनी अभियान के 11वें चक्र के प्रतिवेदन में यह कहा कि सतना जिले में गंभीर कुपोषण का प्रतिशत 0.92[5] है। जबकि सामान्य कुपोषण का प्रतिशत 50.08 है। इस प्रकार कुल कुपोषण 51.02 है। शासन के अनुसार कुल 3,18,371 बच्चों का वजन लिया गया और उसमें से केवल 2941 बच्चे ही गंभीर स्तर के कुपोषित पाये गये। लेकिन बाल संजीवनी अभियान की हकीकत यहां से सामने आती है जबकि इसी प्रतिवेदन में सतना जिला अपने यहां पर गंभीर स्तर के कुपोषण का प्रतिशत .80 दिखाता है।

अब यदि गणना करें तो हम पाते हैं कि जब गंभीर स्तर का कुपोषण 0.92 दर्शाया गया है तब कुल कुपोषित बच्चे 2557 थे, लेकिन जब वही कुपोषण 0.80 कर दिया जाता है तो बच्चों की संख्या घटकर 2173 रह जाती है। इसके मायने सरकार ने सीधे–सीधे 384 बच्चों को परिदृश्य से ही गायब कर दिया और यही बाल संजीवनी अभियान की हकीकत है।

इस तरह की आंकड़ेबाजी से लगता है कि कुपोषित बच्चों की संख्या या तो जस की तस है या फिर बढ़ रही है लेकिन सरकारी दस्तावेजों में तो वह निरंतर कम हो रही है और बाल संजीवनी अभियान सफलता की नई ऊंचाईयों को छू रहा है।

---

4 तथ्यान्वेषण दल द्वारा लये गये वजन के अनुसार (शपथ पत्र संलग्न)

5 महिला एवं बाल विकास विभाग विभाग की वेबसाईट पर प्रदर्शित आंकडे www.mp.gov.in/wcd

कब–कब मरे हैं बच्चे ?

लगता है कि हरदुआ व नकझीर जैसे गांवों में बच्चों की मौते नियति बन गई है। 10 दिनों में पांच बच्चों की मौत अपने पीछे कई सारे सवाल छोड़ जाती है लेकिन गांव वाले इसे नियति ही मान रहे हैं। एक ही घर के दो चिराग एक सप्ताह के अंदर बुझ गये (अर्चना और गुड़िया) अर्चना 2 वर्ष की थी और गुड़िया 3 वर्ष की थी। नकझीर में दो दिन के अंदर दो मौतें हुई। ऐसा नहीं कि ये मौते अभी ही हुई हैं, बल्कि यह सिलसिला आदिवासी क्षेत्रों में अनवरत् जारी है। हरदुआ में ही 4 माह पहले रेशमा की मौत हो गई और इसी प्रकार घरमू (5 वर्ष) की भी मौत हो गई। सभी बच्चों के पालकों का कहना है कि उनके बच्चे कमजोर थे और उन्हें लू लगना सरकार गलत बता रही है।

सरकारी महकमे ने इन बच्चों के घरों में जाना उचित नहीं समझा और वस्तुस्थिति भी जाननी नहीं चाही कि वास्तव में क्या हुआ ? बल्कि अपनी एक रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत कर दी कि मौतें कुपोषण से नहीं, बल्कि अनजान बीमारी से हुई है। सवाल यह भी है कि यदि सरकार कहती है कि मौतें लू से हुई हैं तो देखना यह भी होगा कि कुपोषित बच्चों पर बीमारियाँ ज्यादा असर डालती हैं। क्योंकि कुपोषण के कारण बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता कम होती जाती है और उस पर किसी भी बीमारी का असर ज्यादा होती है।

हजारों बच्चे भगवान भरोसे

माननीय उच्चतम न्यायालय ने 28 नवम्बर 2001 को दिये गये अपने अंतरिम आदेश (196/01, जनहित याचिका, पीयूसीएल बनाम भारत सरकार एवं अन्य) में यह कहा गया है कि प्रत्येक बसाहट में आंगनबाड़ी केन्द्र हो, साथ ही प्रत्येक बच्चे की आंगनबाड़ी केन्द्र तक पहुंच सुनिश्चित हो। लेकिन इस आदेश का सरेआम उल्लंघन किया जा रहा है। अभी भी हजारों बच्चों की पहुंच से दूर है आंगनबाड़ी केन्द्र। अकेले सतना जिले के उचेहरा ब्लॉक की ही बात करें तो हम पाते हैं कि उचेहरा परियोजना में 152 आंगनबाड़ी केन्द्र है; इन आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 21380 (11052 बालक, 10328 बालिका) बच्चों को सेवायें दी जा रही हैं यानि एक आंगनबाड़ी केन्द्र में औसतन 140 बच्चे दर्ज हैं, जबकि मापदण्ड 40–80 बच्चों का है, इसके मायने अकेले उचेहरा ब्लाक में 267 आंगनबाड़ी केन्द्रों की आवश्यकता है।

इसके अलावा बाल संजीवनी अभियान के 11वें चक्र के अनुसार उचहरा विकासखण्ड में 0 से 6 वर्ष तक की उम्र के 28372 बच्चे है, जबकि अभी केवल 21380 बच्चों तक ही आंगनबाड़ी केन्द्रों की पहुंच हो रही है अर्थात् 6992 बच्चे अभी भी आंगनवाड़ी केन्द्र की पहुच से दूर हैं और जिन्हें कोई भी सेवायें नहीं मिल पा रही है। यह आंकडे जिले के जिले के स्तर पर देखते हैं तो हम पाते हैं कि अभी भी 70213 बच्चों की पहुंच आंगनबाड़ी केन्द्रों तक नहीं है। राज्य के स्तर पर अभी भी 13,19,760 बच्चों की पहुंच आंगनबाड़ी तक नहीं है।

किशोरियों को नहीं मिलता है, उनके हिस्से का पोषणाहार

माननीय उच्चतम न्यायालय ने 28 नवंबर 2001 के अपने आदेश में कहा है कि प्रत्येक किशोरी बालिका को प्रतिदिन पोषणाहार दिया जाना चाहिये, लेकिन हरदुआ व नकझीर गांवों में न तो सभी किशोरी

बालिकाओं को दर्ज ही किया गया है और न ही उन्हें पोषाहार का वितरण किया जाता है। हरदुआ न नकझीर गांवों में 35 किशोरी बालिकायें हैं लेकिन आंगनबाड़ी में मात्र दो किशोरी बालिकायें ही दर्ज हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के अनुसार हम केवल दो किशोरी बालिकाओं को ही दर्ज करते हैं और उन्हें ही पोषाहार देते हैं। प्रदेश के सभी केन्द्रों में भी हालात लगभग जस के तस हैं और सभी जगह माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का खुला उल्लंघन हो रहा है।

केस अध्ययन – 1

आठ दिन में घर सूना

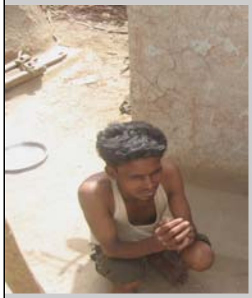

पप्पू कहता है कि दो बच्चियाँ थी, अब एक भी नहीं। आठ दिन में दोनों पार (खत्म) हो जायेंगी, ऐसा मैने सोचा नहीं था। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरी बच्चियाँ कमजोर (कुपोषित) थीं, डॉक्टर भी ऐसा ही कहते थे । मगर अब मैं ऐसा कहता हूँ तो सब मना करते हैं कहते हैं कि अनजानी बीमारी/ लू से मौत हो गई। अरे साहब! जब बच्चे कमजोर थे तो कमजोर थे, इसमें छिपाना क्या ?

कमजोर होती भी क्यों न ! साहब खाने को है नहीं है, पिताजी चार भाई हैं, 10 बीघा जमीन है तो हिस्से में 2 से 2½ बीघा जमीन आई है। तीन सालों से सूखा पड़ा है, कोई भी फसल नहीं हुई है। इस साल अरहर बोई थी, उसमें भी पाला लग गया। ले देकर जंगल और खदान का सहारा है। जंगल से दो-तीन दिन में एक लकड़ी का गठ्ठा लाते हैं तो वह भी 20 से 25 रुपये में दुरैहा (8 किमी दूर) में बिकता है।

रोजगार गारंटी योजना का काम खुला नहीं है, जब यह दो वर्ष पहले काम खुला था तब सड़क निर्माण में काम किया था। दो दिन काम किया और 14 दिन चढ़ाये है। इतनी खराब हालत के बाद भी सरकार हमें नीला कार्ड बनाकर दी है जिस पर भी माह (जनवरी) से राशन नहीं मिला है और ऊपर से सूखा। ऐसी स्थिति में साहब, भूखे न मरें तो क्या करें? और हम बडे लोग तो सह भी सकते हैं पर बच्चें इस गर्म मौसम और भूख को नहीं झेल पाये और पार हो गये।

स्वास्थ्य विभाग की भूमिका ?

स्वास्थ्य विभाग ने समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के बाद आनन–फानन में एक टीम तैयार कर प्रभावित गांवों तक पहुंचाया, टीम में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. ए.बी. मिश्रा, डॉ. नरेन्द्र शर्मा व फार्मास्टि पी.के. पाठक थे। इसके अलावा एक अन्य स्वास्थ्य टीम बी.एम.ओ. आभिमन्यु सिंह परिहार, नागौद के चिकित्सक अमर सिंह भी गांव पहुंची। स्वास्थ्य टीम का कहना है कि बच्चों की मौत कुपोषण व लू के कारण हुई है। गांव में पेयजल की कमी है, जिसके कारण मौतें हो रही है। जिला स्तरीय जांच दल ने ब्लॉक स्तरीय दल को भी वहां पर तैनात किया, किन्तु ग्रामीणों के मुताबिक कुछ घंटे बाद ही वहां पर कोई नहीं था।

दवा खाते ही उल्टी कर रहे हैं बच्चे और बूढ़े

गांव वालों का कहना है कि बच्चों को और बड़ों को अलग–अलग तरह की दवायें वितरित की है, पूरे गांव में लभगग एक सी दवायें बांटी गई है।

दवायें खाते ही बच्चे व बूढ़े उल्टी–दस्त करने लगते हैं और उन्हें चक्कर आने लगता है। सभी बच्चों को CYFOL-S तथा MULTI-ZEST की दवा वितरित की है, वहीं वयस्कों को PILDOX तथा PARACETAMOL का वितरण किया गया है।

इन दवाओं को खाने के बाद तुरंत ही बच्चे उल्टी करने लगते हैं, वयस्कों को भी इस तरह की दिक्कतें सामने आई। वहीं चिकित्सकों का कहना है कि ये बहुत ही सामान्य दवाये हैं जो कि किसी विशेष कॉज को समाप्त नहीं करतीं । इन दवाओं के साईडइफैक्ट तो नहीं हैं लेकिन यदि यह दवा एक्सपायरी डेट की होगी तो निश्चित ही लोग उल्टी करेंगे। दूसरा गांव वालों को यह भी नहीं मालूम है कि बच्चों को कितना डोज देना है और बड़ों को कितना ?

इसके अलावा यदि प्राथमिक स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो हम पाते हैं कि यहां पर एक मात्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परसमनिया (13 किमी) में है, जहां पर एक मात्र डॉक्टर की पोस्टिंग है। गांव वालों का कहना है कि ये डॉक्टर भी कभी नहीं मिलते है। जिससे हम लोग भी कभी नहीं जाते हैं।

गांव में कभी भी MPW नहीं आते हैं। नर्स कभी भी गांव में नहीं आती है जिससे गांव में बच्चों का टीकाकरण भी नहीं हुआ है। जब पिछले बार बाल संजीवनी अभियान के दौरान ही टीकाकारण हुआ था उसके बाद से टीकाकरण नहीं हुआ है। अर्थात् स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग में समन्वय नहीं है जिससे ये हालात बन रहे हैं। गांव वालों, यहां तक कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तक को भी उपस्वास्थ्य केन्द्र के विषय में कोई भी जानकारी नहीं है।

तालिका क्र. 5 –

उन लोगों के नाम जिन्हें दवायें खाने के बाद उल्टी दस्त हुई

नाम	**गांव**
शिखा	मांगीलाल
मंती	युगांधर
गुमानसिंह	गिरधारी सिंह
विश्वासी	बलिया
अमरसिंह	गिरधारी सिंह

स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग का असमन्वय तब भी सामने आता है जबकि स्वास्थ्य विभाग बच्चों की मौत कुपोषण से होना बता रहा है जबकि महिला एवं बाल विकास विभाग इसे कुपोषण नहीं मान रहा है। एक सप्ताह में पांच मौतों के बाद भी संवदेनशील रवैया अख्तियार न करते हुये विभागीय लड़ाई में उलझा नजर आता है बजाय इसके कि त्वरित प्रयास हों और बच्चों की जान बचाई जा सके।

अपनी ढपली अपना राग
पोषण पुर्नवास केन्द्र से मात्र सात दिन में छुट्‌टी

पोषण पुर्नवास केन्द्र में गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा भेजा जाता है। यह संदर्भ सेवाओं को एक बड़ा भाग है। पोषण पुनर्वास केन्द्र में बच्चों को कम से कम 14 दिन तक रखा जाता है। बच्चों की पोषण संबंधित देखभाल आई.ए.पी. की गाइड लाइन के अनुरूप की जाती है। सभी कुपोषित बच्चो के आवश्यक परीक्षण किए जाते है। निर्धारित प्रपत्रों में बच्चे के स्वास्थ्य, पोषण की स्थिति, सामाजिक आर्थिक स्थिति संबंधित जानकारी भरी जाती है। उम्र एवं ऊंचाई के आधार पर वज़न की गणना की जाती है एवं श्रेणीकरण किया जाता है। शिशु रोग विशेषज्ञ प्रतिदिन पोषण पुनर्वास केन्द्र में हो।

सतना जिले के पोषण पुर्नवास केन्द्र का मामला बड़ा ही निराला है क्योंकि यहां पर घोषित रूप से बच्चों को मात्र सात दिन ही रखा जाता है जबकि ऐसा कोई भी लिखित आदेश उनके पास नहीं है। सवाल यह है कि स्वास्थ्य विभाग ने कैसे तय मापदंड़ों को दरकिनार कर यह तय कर लिया कि 7 दिन रखने से ही बच्चे स्वस्थ हो जायेंगे ? वहां पदस्थ कर्मचारियों का कहना है कि अनुवर्तन बाद में किया जायेगा, लेकिन तय मापदंड के अनुसार अनुवर्तन तो 14 दिन की अवधि पूरी करने के बाद से ही शुरू होता है । अतः यहां पर स्वास्थ्य विभाग की भूमिका स्पष्ट नहीं है ? और स्वास्थ्य विभाग अपनी ढपली अपना राग अलाप रहा है।

ऐसा नहीं कि पोपुके से कभी भी जल्दी छुट्‌टी नहीं दी जा सकती है । कुछ बच्चों को समय से पूर्व छुट्‌टी दी जा सकती है, यदि प्रभावी वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध हो। बच्चे को छुट्‌टी दी जा सकती है यदि उसकी उम्र 12 माह से अधिक हो, उसने एंटीबायोटिक इलाज प्राप्त कर लिया हो। उसे भूख अच्छी लगती हो और वज़न में अच्छी बढ़ोतरी हुई हो। उसने दो सप्ताह का पोटेशियम/मैगनीशियम/खनिज/विटामिन प्राप्त कर लिए हो अथवा उसे घर पर दिया जाना संभव हो आदि । लेकिन सतना पोपुके में तो एक तरफ से सभी बच्चों को सात दिन ही रखा जाता है। पोपुके का एक नीतिगत मामाला यह भी है कि यहां एक बार में केवल 20 बच्चों ही रखा जा सकता है, जबकि यदि और बच्चे कुपोषित हैं तो फिर उन्हें अपनी बारी का इंतजार करना होगा।

केस अध्ययन – 2

आंगनवाडी कार्यकर्ता का देवर भी चढ़ गया कुपोषण की भेंट

नीलेश (8 माह) अब इस दुनिया में नहीं है, वह कमजोर था और प्रशासन की लेतलाली और गैर जवाबदेहिता का शिकार हो गया। नीलेश, भागवती का देवर है, भागवती यानी आंगनबाडी कार्यकर्ता। नीलेश के पिता द्रोपलाल कहते हैं कि वह बचपन से ही कमजोर था और जिसके चलते वह पार हो गया।

द्रोपलाल की कहानी भी गांव के अन्य लोगों की तरह ही है। 4 भाइयों के बीच 10 बीघा जमीन और उस पर भी 3 साल से पड़ रहा सूखा। द्रोपलाल भी लकड़ी बेचते है। वह कहते हैं कि दो–तीन दिन में एक गट्‌ठा बेच लेते हैं, वह भी 20 रूपये का बिकता है। रोजगार नहीं है, पानी है नहीं, सूखा पड़ा है तो हालत तो खराब होने ही हैं। ऐसी हालत में बच्चे नहीं मरेंगे तो क्या होगा? डॉक्टर आने के बाद तो कह रहे थे कि बोलना ‘लू’ से मर गये ?

झूठ बोलता है स्वास्थ्य विभाग

हर साल कितने शिशु असमय काल के गाल में समा जाते हैं, इसको लेकर स्वास्यि विभागहर समय झूठ पर झूठ बोलता जाता है। अपने आंकड़े और अपनी दरें। दरअसल में वर्तमान में प्रदेश की शिशु मृत्यु दर 76 है। यानी प्रति 1000 जन्म पर 76 बच्चों की मौत। सुनने और देखने में यह आंकड़ा ठीक लगे लेकिन असकी भयावहता इसकी गणना के साथ ही पता चलती है। इसलिये सरकारें अपने आंकड़े दरों पर ज्यादा रखने के पक्ष में होती हैं।

सतना जिले का ही उदाहरण लें तो हम पाते हैं कि सतना जिले में वर्ष 2006-07 में कुल 50977 प्रसव हुये। सरकार के मुताबिक इस दौरान कुल 2060 शिशुओं की मौत हुई, इस दौरान सरकार ने 40 प्रति हजार की दर को आधार माना है जबकि यदि 76 प्रति हजार की दर को आधार मानें तो हम पाते हैं कि यह आंकड़ा 3874 का होता है। अर्थात् 1814 शिशुओं की मौत को गायब कर दिया गया। इसी प्रकार वर्ष 2007-08 में कुल 60490 प्रसव हुये, सरकार के मुताबिक इस दौरान कुल 1668 शिशुओं की मौत हुई, इस दौरान सरकार ने 27 प्रति हजार की दर को आधार माना है लेकिन यदि 76 प्रति हजार की दर को ही आधार मानें तेा यह आंकड़ा 4597 का होता है, अर्थात् 2929 शिशुओं की मौत को दबा दिया गया।

तालिका क्र.6 - शिशु मृत्यु दर का विश्लेषण[6]

	2006-07							
	शासकीय आंकड़ा				विश्लेषण			
	कुल प्रसव	शिशु मृत्यु	दर	प्रतिदिन मृत शिशु	कुल प्रसव	शिशु मृत्यु	दर	प्रतिदिन मृत शिशु
सतना	50977	2060	40	5	50977	3874	76	11
मध्यप्रदेश	1776016	30278	17	82	1776016	134977	76	369

	2007-08							
	शासकीय आंकड़ा				विश्लेषण			
	कुल प्रसव	शिशु मृत्यु	दर	प्रतिदिन मृत शिशु	कुल प्रसव	शिशु मृत्यु	दर	प्रतिदिन मृत शिशु
सतना	60490	1668	27	4	60490	4597	76	12
मध्यप्रदेश	1824962	29385	16	80	182496 2	138697	76	379

सरकार के मुताबिक सतना जिले में वर्ष 2006-07 में प्रतिदिन केवल 5 शिशुओं की मौत हुई जबकि हमारे विश्लेषण के मुताबिक 11 शिशु रोजाना खत्म हुये। इसी वर्ष में सरकार प्रदेश में 82 शिशुओं की मौत होना बता रही है जबकि हमारे विश्लेषण के अनुसार रोजाना 369 शिशुओं की मौत हुई। वर्ष 2007-08 में सरकार के मुताबिक सतना जिले में प्रतिदिन केवल 4 शिशुओं की मौत हुई जबकि हमारे विश्लेषण के मुताबिक 12 शिशु रोजाना खत्म हुये। इसी वर्ष में सरकार प्रदेश में 80 शिशुओं की मौत होना बता रही है जबकि हमारे विश्लेषण के अनुसार रोजाना 379 शिशुओं की मौत हुई। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सरकारें किस तरह के भ्रामक आंकडे देकर अपनी जवाबदारियों से पल्ला झाड़ने की कोशिश करती हैं और इससे यह भी समझ में आता है कि बच्चे और महिलायें सरकार की प्राथमिकता में आते हैं ?

[6] स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट www.mp.gov.in/health तथा दल का विश्लेषण

नहीं सुरक्षित हैं ‘‘भोजन का अधिकार’’

जब हम यह कहते हैं कि अमुक बच्चा कुपोषित है तो कुपोषण के रूप में दिखने वाला यह लक्षण केवल सामान्य परिघटना नहीं है। इस घटना के साथ कई आयाम जुडे हैं । एक बच्चा कुपोषित होता है, जबकि उसकी माँ को गर्भावस्था के दौरान भरपेट भोजन न मिले, बच्चे को मां का दूध न मिले। विश्लेषण की यह प्रक्रिया यहीं समाप्त नहीं होती बल्कि देखना यह भी होगा कि गर्भावस्था में पोषणाहार पाने के लिये उसके पास पर्याप्त पैसा है, जिसे वह अपने स्वास्थ्य पर खर्च कर सके। इसके पहले यह भी देखना जरूरी है कि क्या उसके/ उसके पति के पास काम है ? क्योंकि काम ही नहीं मिलेगा तो ? इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बच्चे को कुपोषण अकेला बच्चे को कुपोंषण नही है बल्कि वह तो एक लक्षण है, शासकीय प्रक्रियाओं के ध्वस्त होने और होते चले जाने का ।

हरदुआ और नकझीर गांव में बच्चे कुपोषित हैं, मांयें खून की कमी से ग्रसित है और यहां पर शासन की सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं । यदि भोजन के अधिकार की ही बात करें तो हम पाते हैं कि सब कुछ बिखरा पड़ा है । कहीं भी व्यवस्था के अंश नहीं दिखाई देते हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि अभी भी आदिवासी क्षेत्रों का विकास सरकार की प्राथमिकता नहीं बन पाया है । गांव में चारों आरे दिखेंगे बड़े पेट के बच्चे, सूख चुकी महिलायें और बेकार बैठा पुरूष वर्ग। तथ्यान्वेषण दल ने भोजन के अधिकार की स्थिति भी देखनी चाही । हमने सबसे पहले राशन व्यवस्था से शुरूआत की।

राशन व्यवस्था

हरदुआ – नकझीर जैसे कई और गांवों की राशन दुकान पुरैना में ही है। पुरैना यहां से दो किमी है। पुरैना गांव में राशन दुकान माह में केवल एक बार ही खुलती है और कभी–कभी तो वह भी नहीं खुलती है। दुकान खुलने पर दुकानदार सौतेला व्यवहार करता है, वह किसी को ज्यादा देता है और किसी को कम। यदि गांव वाले कुछ आवाज उठाते हैं तो कहता है कि नहीं देंगे जाओ यहां से, बने सो कर लो। दुकान भी रोज नहीं खुलती है और यह भी पता नहीं होता है कि कब खुलेगी ?

राशन की दुकान से अन्त्योदय कार्डों पर 25 किलोग्राम राशन तथा नीले कार्ड (बीपीएल) पर 10 से 15 किलोग्राम राशन ही मिलता है, जबकि लोगों को माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार अन्त्योदय व बीपीएल कार्डों पर राशन दुकान से अनिवार्य रूप से प्रति परिवार 35 किलोग्राम का वितरण किया जाना है, परन्तु ऐसा नहीं हो रहा है। गांव में बहुत से परिवारों के राशन कार्ड ही नहीं बने हैं जिससे उनके सामने तो भूख की स्थिति निर्मित हो रही है।

फागुन से राशन नहीं मिला

गांव वालों का कहना है कि विगत् दो–तीन महीने से किसी को भी राशन नहीं मिला है और गांव वालों ने पूछा तो कहा कि अभी राशन नहीं आया है। इस दौर में जबकि सूखा राहत के काम ज्यादा चलना चाहिये और लोगों के सामने भुखमरी का संकट है, लोगों को राशन भी नहीं मिल रहा है।

मई से बहुप्रचारित मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का का लाभ भी अभी तक ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। गांव में किसी भी आदमी को मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत् अभी तक राशन नहीं मिला है। ज्ञात हो कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार राशन दुकान माह में प्रतिदिन कुछ निर्धारित समय के लिये खुली रहेगी। राशन किश्तों में दिये जाने की सुविधा होगी। (माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश क्र..............)

लेकिन यहां पर माननीय उच्चतम न्यायालय के समस्त आदेशों का उल्लंघन हो रहा है और राशन न मिलने के कारण लोगों को बाजार से अधिक दामों में राशन खरीदकर खाना पड़ रहा है। दो गावं के 26 लोग ऐसे

मिले हैं जिनके पास राशन कार्ड ही नहीं हैं। महंगाई के कारण लोग राशन ले ही नहीं पा रहे हैं। और उसके सामने भूख की स्थिति निर्मित हो रही है।

तालिका क्र. 7 – वे व्यक्ति जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं।	
गांव का नाम	**व्यक्ति का नाम**
नकझीर	रज्जू पुत्र रामलाल
	कोद्‌दू
	किशोर/ गया
	क्षेय/
	अशोक/ शांतिदास
	नत्थू/ गोटा
	रोजश/दुलारे
	लक्खू/ दया
	दया/ राघु
	रामपाल/हरछठिया
	मौजीलाल/असऊआ
	विश्वासी/ बलिया
	करनसिंह/गिरधारी सिंह
	अमरसिंह/गिरधारी सिंह
	संतोष/गिरधारी सिंह
	राममिलन/सुकन्जा
हरदुआ	राजेन्द्र पुत्र भोले कोल
	रामकेश पुत्र जीवन कोल, एपीएल
	रम्मू पुत्र मुन्नी लाल कोल, एपीएल
	हीरालाल पुत्र रामजी
	देवीदीन/कल्ला
	धुन्ना
	केशा
	स्वरूपा
	रघुनाथ / कल्लू
	पप्पू

नहीं है रोजगार की गारंटी

शासन की अतिमहत्वाकांक्षी योजना, रोजगार गारंटी योजना में भी लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है। अधिकांश लोगों के जॉब कार्ड तो बन गये हैं लेकि उनके पास काम नहीं है। 20 लोगों के जॉब कार्ड अभी भी नहीं बने हैं। गांव में 2 वर्ष पहले ही सड़क निर्माण हुआ था, जिसमें लोगों को 2 दिन काम मिला था, परन्तु प्रत्येक के जॉब कार्ड में 14 दिन की इंट्री हुई है। लोगों द्वारा लगातार काम की मांग की जाती रही, लेकिन उन्हें काम नहीं मिला।

तालिका क्र. 8
जिनके जॉब कार्ड खाली हैं

नाम	जॉब कार्ड क्र.
बोधन / पर्वत सिंह गोंड	4
पप्पू/ संता कोल	27
भगवानदीन/ बल्लू	38
रामगरीब/ गला	25
दया/ रघु	39
दुलारे/सुगम	5
गयाप्रसाद/ बल्लू	31
भोलू/ संता	37
रमेश/ गया	–

गांव वालों का कहना है कि सरपंच/ सचिव द्वारा ठेकदारी से और मशीनों से काम कराया गया है। अतएव शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना में 100 दिन रोजगार की गारंटी है लेकिन हरदुआ और नकझीर के लोगों को दो वर्ष में महज 2 दिन का ही काम मिला है। गांव वालों का कहना है कि हमने कई बार काम मांगा है लेकिन हमें काम नहीं मिला है। अधिकांश जॉब कार्ड खाली पडे हैं । हरदुआ के उन 8 व्यक्तियों की सूची जिनके जॉब कार्ड हमने देखे और वे खाली पडे है।

बंद पड़ी है मध्यान्ह भोजन योजना

यद्यपि हरदुआ गांव में स्कूल नहीं है वहां केवल ईजीएस शाला है, नकझीर में स्कूल है लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार सूखा प्रभावित क्षेत्रों में भी गर्मी की छुट्टियों के दौरान भी मध्यान्ह भोजन का वितरण किया जाना है । पुरैना पंचायत में यह नहीं हो रहा है। समस्त गांव वालों का कहना है कि अभी विगत दो माह से तो मध्यान्ह भोजन का वितरण नहीं किया जा रहा है। गांव वालों का कहना है कि पूरे वर्ष भर में कुछ 6 से 7 दिन ही स्कूल लगा है। इसलिये मध्यान्ह भोजन के वितरण का सवाल ही पैदा नहीं होता ?

ज्ञात हो कि इस शाला में 6-14 वर्ष तक के लगभग 50 बच्चे दर्ज हैं लेकिन उनके लिये न तो स्कूली दिनों में और न ही अन्य दिनों में मध्यान्ह भोजन की कोई व्यवस्था है। गांव में यह भी नहीं मालूम है कि गर्मी की छुट्टियों के दौरान भी स्कूलों से मध्यान्ह भोजन का वितरण किया जाना है। रसोईया पुरानी बस्ती की गोंड महिला है, उनका कहना है कि उन्होंने चैत से मध्यान्ह भोजन नहीं बनाया है, और न ही उन्हें यह जानकारी है कि मध्यान्ह भोजन गर्मी की छुट्टियों भी दिया जायेगा।

कहीं नहीं है सूखा राहत -

सूखे से राहत के लिये सरकार अलग-अलग योजनायें चलाने का दावा करती है, लेकिन कहीं भी सूखे से निपटने के कोई भी प्रयास दिखते नहीं है, न तो चारागाह की कहीं व्यवस्था की गई है और न ही सूखा राहत के कोई भी काम वहां शुरू किये गये हैं। नकझीर में कुछ लोगों को सूखा राहत की राशि वितरित की गई है। लेकिन उसका आधार भी समझ से परे है। किसी को 400, किसी को 500 और बहुतों को कुछ भी नहीं। न तो कहीं भी कोई भी नये काम नहीं खाले गये हैं।

पेंशन के लिये तरसते वृद्ध –

पेशन योजना के लिये भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिशानिर्देश में यह स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश दिया है कि सभी हितग्रहियो की पहचान कर पेंशन योजना का लाभ दिया जाये। इस योजना में प्रतिमाह 7 तारीख तक सभी लोगों को पेंशन मिलना ही चाहिये, लेकिन गांववालेां के अनुसार यहां पर पात्र लोगें को भी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

तालिका क्र. 9 **पेंशन की पात्रता परन्तु पेंशन नहीं**
वृद्ध व निराश्रित
कारी पत्नी दया कोल – 68 वर्ष
दया/ रघु – 72 वर्ष
कल्लीबाई/ बोआ – 66 वर्ष
बोटा/ रघु – 70 वर्ष
मीरा/ रामलाल – 65 वर्ष
बंधन/ पर्वत सिंह – 75 वर्ष
पतंगू पत्नी धुन्ना – रामकुमार (70 वर्ष)
विधवा
• प्रेमाबाई पत्नी स्व. श्रीकन्धइया कोल – 40 वर्ष
• शिखतिया पत्नी स्व. सुदामा कोल – 52 वर्ष
• केशकली पत्नी स्व. हिसाबीलाल कोल – 25 वर्ष
• पुतरिया स्व. कल्ला कोल – 70 वर्ष
• निमिया स्व. गुलजारी कोल – 73 वर्ष,

अनकही दास्तान.............

सूख गई संवेदना, मरी मनों की टीस

अब कोई रोता नहीं, एक मेरे या बीस

मन गिरवी, तन बंधुआ, सांसे हुई गुलाम

घुटन भरे इस दौर में कैसे जियें राम

ऊपर जो भी हमने जिक्र किया है वो हमने सतना जिले के उचहरा विकासखंड का ही जिक किया है जबकि सतना जिले में इसी दौरान और भी अन्य बच्चों की मौतें हुई। जिन्हें मीडिया ने कवर नहीं किया तो स्वभावतः वहां पर विभागों के जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ? विभाग को अभी तक भी जानकारी नहीं । विभागों में इतनी संवेदनशीलता होती तो क्या नहीं था ? हमने अपने तथ्यान्वेषण दल के साथ वहीं जाकर वास्तविक स्थिति जाननी चाही तो हमने पाया कि वहां पर भी बच्चों की मौतें हुई हैं। लेकिन इन बच्चों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि ये बच्चे मरने के बाद भी मीडिया का ध्यान नहीं खींच पाये, यदि मीडिया इन पर लिखती तो शायद केन्द्र में पोषणाहार पहुंच जाता, तो शायद सरकारी वक्तव्य जारी हो जाता, तो शायद लीपापोती की संभावना ज्यादा बढ़ जाती ?

आइये जानते हैं कि क्या है वास्तविक हालात।

केसस्टडी 3
''सुआ पहाड़ी'' में भी दफना दी गई मनीषा

ऐसा नहीं कि केवल हरदुआ और नकझीर बल्कि सतना जिले में चहुंओर कुपोषण का आलम है, कुपोषित बच्चों की जानकारी न तो महिला एवं बाल विकास विभाग को है और न ही स्वास्थ्य विभाग को। हरदुआ और नकझीर में बच्चों की मौतों का मामला अखबार में आ गया तो यह प्रकाश में आ गया, लेकिन ऐसे कई मामले है। जो प्रकाश में नहीं आते हैं तो बच्चे बगैर किसी हंगामें के दफना दिये जाते हैं।

ऐसे ही मझगवां ब्लॉक की पेण्ड्रा पंचायत के सुआपहाड़ी गांव की गांव की मनीषा पिता रामबहोरी माता–सुनीता की लड़की थी। 18 माह की मनीषा कमजोर थी (कुपोषित) उसे 4 दिन से बुखार आ रहा था। राम बहोरी, मशीन चलाने का काम करता है और उसे कभी–कभार ही मजूरी मिल पाती है। वर्तमान में वह पलायन कर चित्रकूट गये हुये हैं। मनीषा का वजन कितना है, पूछने पर दादा बोरीलाल कहते हैं कि कमजोर थी, मगर कभी वजन नहीं हुआ। गांव में आंगनबाड़ी नहीं है, वह कैलाशपुर में (1 किमी. दूर) लगती है। कहते हैं कि मेरी बच्ची का क्या गांव में किसी का भी कभी

बंद पड़ी है मध्यान्ह भोजन योजना

सूखा प्रभावित क्षेत्रों में गर्मी के दिनों में/ छुट्टी के दिनों में भी मध्यान्ह भोजन का वितरण किया जाना है लेकिन सुआ पहाड़ी गांव में भी मध्यान्ह भोजन योजना बंद पड़ी है। इस गांव के स्कूल भवन में वर्तमान में सड़क बनाने वाले ठेकेदार के मजदूर रहते हैं।

वजन नहीं हुआ और पोषाहार के मुद्दे पर वह कहते हैं कि जब आंगनबाड़ी ही नहीं गये तो फिर पोषाहार कहां से मिलेगा ?

उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पेण्ड्रा की है और इसके चलते केन्द्र कभी भी नहीं लगता है। मनीषा का टीकाकरण भी नहीं हुआ था। गांव में कोई भी काम नहीं चल रहे हैं, दो बीघा जमीन है, सूखे के कारण उसमें भी कुछ नहीं उगता है। आधे से ज्यादा परिवार पलायन पर चले गये हैं। ऐसी स्थिति में यहां जीवन का संकट है, लोग पेयजल के लिये भी भटक रहे हैं।

महिला एवं बाल विकास विभाग को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि सुआ पहाड़ी में भी मनीषा की मौत हुई है क्योंकि सुआ पहाड़ी की खबर किसी समाचार पत्र में नहीं छपी है। सरकारें व्यवस्था बदलने की अपेक्षा केवल थेगड़े लगाने का ही काम करती हैं। मनीषा प्रकरण से महिला एवं बाल विकास विभाग की संवेदनशीलता नजर आती है। बोरीलाल कहते हैं कि मनीषा के पार होने के बाद से अभी तक नतो आंगनवाड़ी कार्यकार्त ही यहां आईं हैं और न ही आया है स्वास्थ्य विभाग का कोई भी अधिकारी ।

केसस्टडी 4

धर्मलाल लेते हैं वजन, आंगनवाड़ी पड़ी है बंद

मझगवां ब्लॉक के मलगौसां पंचायत का रामनगर खोखला गांव आज भी विकास के नजरिये से अछूता है। समुद्र तल से लगभग 300 फीट नीचे इस गांव में कोई एप्रोच रोड़ नहीं है। 3 किमी. पड़ो गांव से पैदल जाना पड़ता है। 100 घरों की इस बस्ती में एक दो यादव परिवार हैं तथा बाकी 98 मवासी परिवार हैं। 98 परिवारों की इस बस्ती में एक स्कूल है, और एक आंगनवाड़ी केन्द्र है। उपस्वास्थ्य केन्द्र पेण्ड्रा (10 कि.मी.) में है तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के बारे में किसी को कुछ भी अता पता नहीं है।

गांव में अक्टूबर 2007 से आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है। आंगनबाड़ी में 96 बच्चे, 10 गर्भवती महिला, 10 धात्री महिला तथा 2 किशोरी बालिकायें दर्ज हैं। 50 प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं। 3 बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं, जिन्हें पोषण पुर्नवास केन्द्र भिजवाया गया है। फरवरी माह से आज तक (15 मई 08 तक) पोषणाहार आया ही नहीं तो उसके वितरण का सवाल ही पैदा नहीं होता।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कोमल यादव/धर्मलाल यादव का अभी तक 8 माह कार्य करने के उपरांत भी कभी भी प्रशिक्षण नहीं हुआ है, उसे अभी तक आंगनबाड़ी फिर भी उपलब्ध नहीं हुई है। प्रशिक्षण नहीं है तो फिर कार्य कैसे करते है ? इस पर कोमल

अबकी हमारे मरने की खबर लिखने आना, साहब !

3 वर्ष का सुकैन अब इस दुनिया में नहीं हैं, उसने 16 मई को हमेशा के लिये अपनी आंखें मूंद ली। सुकैन के सोने की हलचल न तो गांव में दिखाई देती है और न ही प्रशासनिक महकमे में। 5 भाई बहिनों में तीसरे नंबर का सुकैन कमजोर (कुपोषित) था। वह 3 बजे बीमार पड़ा तो शाम को उसे पेण्ड्रा में डॉक्टर के पास ले गये। डॉक्टर ने उसे शाम को ही घर भिजा दिया और कहा कि ठीक हो जायेगा। सुकैन के पिता जयलाल कहते हैं कि हमें लगा कि रैमुनिया (निमोनिया) हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था।

शाम को घर लाने पर रात को सुकैन ने गर्दन ढडका दी। जयलाल कहते हैं कि वह कमजोर था, और उसे आंगनवाड़ी से कभी भी कोई पोषणाहार नहीं मिला, न तो उसका वजन ही लिया गया और न ही उसको कोई टीके कभी लगे। आंगनवाड़ी लगती है कि नहीं, यह भी नहीं मालूम। आंगनवाड़ी तो हमारे टोला से लगी है, सुकैन के पिता जयलाल कहते हैं कि हम आदिवासी लोग हैं, जंगल पर ज्यादा निर्भर रहे हैं , अब जंगल से मिलता नहीं है कुछ सरकार की तरफ से काम भी नया खुला तो क्या करें ? रोजगार गारंटी में काम किया था, फरवरी में आज तक मजदूरी नहीं मिली।

जयलाल कहते हैं कि हम तो जैसे-तैसे जी रहे हैं, पानी 3 किमी दूर ढल्लन बीहड़ से लाते हैं, एक सरकारी टैंकर आता है, कब आयेगा पता नहीं ? वो कहते हैं साहब इस बार तो उसके बच्चे की मौत की खबर लिख दी, हो सकता है अबकी बार हमारी लिखने को आना।

कहती हैं कि बस काम चला लेते हैं। हम यहां पहाड़ में पड़े हैं, कोई सुविधा नहीं है। कोमल को वजन प्रबोधन का भी ज्ञान नही है। इसलिए उनके पति धर्मलाल वजन लेते हैं और वे ही पंजी मेन्टेंन करते हैं। तीन तरह की अनिवार्य वजन मशीनों में से केवल एक ही वजन मशीन है। धर्मलाल से यह पूछने पर कि आपका प्रशिक्षण नहीं हुआ है, फिर आप कैसे यह सब करते हैं और क्यों? इस पर धर्मलाल के पास कोई जवाब नहीं है।

धर्मलाल, कोमल और विभाग की जुगलबंदी का परिणाम है सुकैन की मौत। यदि प्रशिक्षित हाथों से नियमित अंतराल में वजन होते जाता तो शायद फिर कभी यह नौबत नहीं आती। सुकैन के पिता जयलाल कह रहे हैं कि बच्चा कमजोर था, लेकिन शासकीय दस्तावेज इस बात की गवाही नहीं देते हैं।गांव में आंगनबाड़ी खुलने के बाद कभी भी टीकाकरण नहीं हुआ है, और न ही कभी स्वास्थ्य विभाग की नर्स यहां आती है। स्वास्थ्य विभाग का यहां कोई भी स्टॉफ कभी भी यहां नहीं आता है। विटामिन ए की दवा भी केवल एक ही बार पिलाई गई है, जबकि आयरन गोली आज तक यहां नहीं आई हैं। इस स्थिति में हम सोच सकते हैं कि कैसे चल रही है आंगनबाड़ी और कितनी है सरकारी प्रतिबद्धता?

दो माह से नहीं आया पोषाहार

मझगवां विकासखंड के एक अन्य गांव पड़मनिया कोठार (ग्राम पंचायत- मलगौसा) में दो माह से पोषाहार नहीं आया है। पड़मनिया कोठार में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार (40 बच्चों होने पर समुदाय द्वारा मांग करने पर तीन माह में आंगनबाड़ी खोली जायेगी) तीन माह पूर्व ही नई आंगनबाड़ी खुली थी। इस आंगनबाड़ी में कुल 45 बच्चे दर्ज हैं। गर्भवती मातायें- 8, धात्री महिला- 17, तथा किशोरी बालिकाओं की संख्या दर्ज नहीं है। गांव में कितनी किशोरी बालिकायें हैं, ये भी कार्यकर्ता नहीं जानती है।

कुल 45 बच्चों में से 60 प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं और इन बच्चों में से भी 2 बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं। इस आंगनबाड़ी केन्द्र में केवल एक ही वजन मशीन है तथा खिलौने, पोषाहार के लिए बर्तन नहीं हैं। कार्यकर्ता स्वयं बताती हैं (श्रीमती सुनीता यादव) है। कि दो माह से न तो गर्भवती माताओं को ही, न धात्री महिलाओं को और न ही बच्चों को पोषाहार का वितरण किया जाता है। उन्होनें कहा कि हमारा कोई भी प्रशिक्षण नहीं हुआ है व गंभीर स्तर के कुपोषत बच्चों के संदर्भ में उन्होंने कहा कि हमें नहीं मालूम कि इनका क्या करना है ? कहां भिजाना है यानी बच्चों को छोड़ दिया गया है भगवान भरोसे।

परिशिष्ट क्र. 1 – वजन सूची

गांव – हरदुआ
विकासखंड – उचेहरा (सतना)

पंचायत – पुरैना
दिनांक – 18.05.08

क्र.	बच्चे का नाम	लिंग	उम्र	वजन	ग्रेड
1	सरिता आदिवासी पिता– सुरेश	बालिका	5 साल	9 किलो.	IIIrd
2	उर्मिला आदिवासी पिता– दरूप लाल	बालिका	4,1/2 साल	13 किलो.	Ist
3	रामबाबू आदिवासी पिता–भुल्ला	बालक	3 साल	14 किलो.	सा.
4	राधा पिता –रामस्वरूप	बालिका	5 साल	11 किलो.	IInd
5	अरविन्द कोर पिता–समकुमार	बालक	5 साल	15 किलो. 500 ग्राम	सा.
6	कैलाश कोल, पिता– रामनाथ	बालक	3 साल	17 किलो. 500 ग्राम	सा.
7	वनिता कोल पिता– रामकुमार	बालिका	3,1/2 साल	13 किलो.	सा.
8	मनीषा कोल पिता– रजिन्द्रा कोल	बालिका	5 साल	13 किलो.	Ist
9	रीना बाई कोल पिता– सीताराम कोल	बालिका	5 साल	14 किलो.	Ist
10	संगी, पिता– रामस्वरूप कोल	बालिका	5 साल	16 किलो.	सा.
11	कमला, पिता रामकेश कोल	बालिका	3,1/2 साल	11 किलो.	Ist
12	सोना, पिता– रामनाथ कोल	बालक	5,1/2 साल	14 किलो. 500 ग्राम	Ist
13	राजेश, पिता– रामकेश कोल	बालिका	1 साल	5 किलो. 500 ग्राम	IIIrd
14	सुषमा, पिता–सुरेश कोल	बालक	1 साल	5 किलो. 500 ग्राम	IIIrd
15	किरसु कोल, पिता– रामकेश	बालक	3 साल	8 किलो.	IIIrd
16	राम सोहमन, पिता– जीवन	बालिका	4 साल	15 किलो. 500 ग्राम	Ist
17	सविता, पिता– रमेश		1,1/2 साल	6 किलो.	IIIrd
18	नन्दकिशोर, पिता– खुखा कोल	बालक	6 साल	19 किलो.	सा.
19	सचिन कोल, पिता– रमुआ कोल	बालक	5 साल	14 किलो.	Ist
20	रोशनी, पिता– लालमणी कोल	बालिका	5 साल	10 किलो.	IIIrd
21	रेश्मी कोल, पिता– अमृत लाल	बालिका	2 साल	7 किलो.	IIIrd
22	रचना, पिता– मुन्नीलाल कोल	बालिका	3 साल	10 किलो.	Ist
23	शिवकुमार, पिता– रमुआ कोल	बालक	1 साल	7 किलो. 500 ग्राम	Ist
24	भारती कोल, पिता– देवीदीन कोल	बालिका	4 साल	16 किलो. 500 ग्राम	सा.
25	राघविन, पिता– देवीदीन कोल	बालक	4 साल	10 किलो.	Ist
26	कजोल, पिता– धरमु	बालिका	3 साल	10 किलो. 500 ग्राम	Ist
27	कृष्णा, पिता– रामजी	बालिका	5 साल	19 किलो.	सा.
28	विपिन, पिता– शॉनकेश	बालक	1,1/2 साल	8 किलो. 500 ग्राम	Ist
29	संजय, पिता– अमृत लाल	बालक	4 साल	10 किलो.	IIIrd
30	सुहागबाई, पिता– रामकेश	बालिका	5 साल	15 किलो.	सा.

गांव - नागझीर

विकासखंड- उचेहरा (सतना)

पंचायत - पुरैना

दिनांक - 18.05.08

क.	बच्चे का नाम	लिंग	उम्र	वजन	ग्रेड
1	द्रोपदी कोल पिता-राजकुमार	बालिका	5 साल	9 किलो.	सा.
2	ब्रजेश, पिता- रमेश कोल	बालक	6 साल	16 किलो.	सा.
3	चन्द्रकोल, पिता- सुदर्शन	बालिका	4,1/2 साल	10 किलो.	IIIrd
4	जीतू, पिता- रामगरीब कोल	बालिका	5 साल	14 किलो.	Ist
5	महेश कोल, पिता- दुलारे	बालक	5 साल	11 किलो.	IIIrd
6	रीतु, पिता- रामगरीब	बालक	3 साल	10 किलो. 500 ग्राम	Ist
7	अरुन, पिता- राजू कोल	बालक	2,1/2 साल	8 किलो. 500 ग्राम	IInd
8	अवध बिहारी, पिता- रज्जू	बालक	3 साल	8 किलो.	IIIrd
9	रमिया, पिता- रज्जू	बालिका	5 साल	10 किलो.	IIIrd
10	रुनद्येदी पिता- रज्जू	बालक	4,1/2 साल	11 किलो. 500 ग्राम	IInd
11	वरदानी कोल पिता- किशोर	बालक	2,1/2 साल	10 किलो. 500 ग्राम	Ist
12	रेनू पिता विरोधी	बालिका	3 साल	14 किलो.	सा.
13	शनि कुमार पिता- विरोधी कोल	बालक	2 साल	6 किलो. 500 ग्राम	IIIrd
14	अर्चना पिता- राजकिशोर	बालिका	2,1/2 साल	8 किलो. 500 ग्राम	IInd
15	हरिकेश पिता- रमेश	बालक	2 साल	8 किलो.	IInd
16	संजय पिता- शान्ति दास	बालक	5,1/2 साल	16 किलो.	सा.
17	मुकेश पिता- शान्तिदास	बालक	9 महीना	7 किलो.	Ist
18	राहुल पिता- रामप्रसाद	बालक	2 साल	7 किलो	IIIrd
19	अर्जुन पिता- राजू	बालक	1 साल	6 किलो	IIIrd
20	रोशनी पिता-गणेश	बालिका	3 साल	10 किलो	Ist
21	मनीषा, पिता- गणेश सिवी	बालिका	1 साल	5 किलो	IIIrd
22	सुजान	बालिका	4 महीना	5 किलो 500 ग्राम	Ist